

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 443 सन 2019

अनवान :-

1. रमेश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।।
2. नीरज पुत्र रमेश जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. सभेस्ता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही चक 4 बारानी के खाता संख्या 2/6 के प०न० 372/486(35) के किला न० 21 ,22/0.506 ,प०न० 371/386(36) किला न० 2 ,23 ,24/0.7590 , 25/0.2410 ,प०न० 371/387(47) किला न० 1 ता 25/5.3730हैक् प०न० 372/387(48) किला न० 1 ता 10 ख०1 ता 13 ,18 ता 20 ,21 ता 23/3.7950हैक् प०न० 0 मु०न० 97/9 के किला न० 0 की 0.0380हैक् गै०मु० रास्ता प०न० 91/72 के किला न० 0 कि 0.1900हैक् गै०मु० रास्ता कुल 10.8750हैक् भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 3/52 के प०न० 375/381(75) किला न० 16 ,25/0.506 ,प०न० 376/381(76) किला न० 19 ता 22/1.0120 , प०न० 376/382(79) किला न० 1 ता 25/5.0600हैक् प०न० 375/382(80) किला न० 1 ता 25/6.3250हैक् प०न० 374/382(81) किला न० 6 ता 9 ,12 ता 19 ,22 ता 25/4.0480हैक् कुल 16.9510हैक् रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 4/23 की कुल 3.4150हैक् वादी के पिता का 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निकुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बाहमी बटवारा

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता निकुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही चक 4 बारानी के खाता संख्य की कुल 10.8750हैक् भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 3/52 की कुल 16.9510हैक् वादी के पिता का 16/105 हिस्सा रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 4/23 की कुल 3.4150हैक् का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निकुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही चक 4 बारानी के खाता संख्य की कुल 10.8750हैक् भूमि जिसमें सयुक्त तौर

उप सप्लीमेंटरी (राजस्व)  
बाहर (हनुमानगढ़)

से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 3/52 की कुल 16.9510हैक् वारी के पिता का 16/105 हिस्सा रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 4/23 की कुल 3.4150हैक् का खातेदार काश्तकार दर्ज है।


पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि निकुराम वल्द बस्ती के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम वल्द बस्ती के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम वल्द बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही चक 4 बाराणी के खाता संख्या 2/6 की कुल 10.8750हैक् भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 3/52 की कुल 16.9510हैक् वादी के पिता का 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है में वादी रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 3/52 की कुल 16.9510हैक् भूमि में से सयुक्त तौर से 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा चक 4 बाराणी के खाता संख्या 2/6 की कुल 10.8750हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 4/23 की कुल 3.4150हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/4/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक फलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रमेश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 अमीलाल पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।।
- 2 नीरज पुत्र रमेश जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 3 समेस्ता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 4 सरोज पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 443 सन 2019 निर्णय दिनांक- 09/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेंरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही चक 4 बारानी के खाता संख्य 2/6 की कुल 10.8750हैक् भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 3/52 की कुल 16.9510हैक् वादी के पिता का 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है में वादी रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 3/52 की कुल 16.9510हैक् भूमि में से सयुक्त तौर से 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 2/6 की कुल 10.8750हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 16/105 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव एवं रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 4/23 की कुल 3.4150हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )